

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 011/2023(रा.प्रा.प.) (GCMS 2023/174)	दायर दिनांक 10.07.2023	निर्णय दिनांक 23.10.2024
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा, गोपाल लाल बंजारा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी**बनाम**

- बालुलाल पिता मगनीराम जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- रामेश्वरीबाई पत्नी बालुलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)
कैलाशचन्द्र उपाध्याय

प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1, 2

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध भू-आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 516/2021 दिनांक 25.11.2021

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 व 2 को मौजा चोलनी तहसील निम्बाहेडा की बिलानाम आराजी संख्या 221 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 01 व 02 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 29.08.2023 को विपक्षी संख्या 01 व 02 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो



शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा की मूल अभिलेख पत्रावली पत्रांक/राजस्व/2023/1088 दिनांक 28.08.2023 से प्राप्त हुई है जो कि इस पत्रावली में भी रिकार्ड पर है। दिनांक 18.07.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से प्रकरण में स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम पर मौजा चोलनी की बिलानाम आराजी संख्या 221 रकबा 0.84 हैक्टेयर में 0.22 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया है। आवंटित आराजीयात पर अप्रार्थीगण का आज दिनांक तक कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है। विवादित आवंटित आराजीयात सार्वजनिक उपयोग की की भूमि है, उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित रखाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। आराजीयात विपक्षी संख्या 01 व 02 के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भू-आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भू-आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है।

प्रार्थी तहसीलदार द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षीगण के पास कोई कृषि भूमि नहीं है तथा विपक्षीगण भूमिहीन काशतकार की श्रेणी में आते हैं और आवंटन की पूरी पात्रता रखती है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू-आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

आवंटन कमेटी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर विपक्षीगण का आवेदन लेकर मौके की रिपोर्ट पटवार हल्का तलब की गयी तथा आवंटन कमेटी की राय लेकर विपक्षीगण भूमिहीन कृषक होने से भूमि आवंटित की गयी है। विपक्षीगण को किया गया आवंटन पूर्णतः विधि अनुसार व नियमों के अनुसार किया गया है। आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अंत में प्रार्थना की गई कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2023 (1) RRT 440 एवं 2021 (2) RRT 1029 का का अवलोकन कराया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के



प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान चोलनी को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई।

अधीनस्थ भू-आवंटन कमेटी ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि को बिना किसी कब्जे के बिना अधिसूचना जारी किये जो भू-आवंटन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किया जाने योग्य है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईशतदुआ से साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :-

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.



अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप-कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा रहा हों। इसके साथ ही आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अप्रार्थी संख्या 02 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं। नियमानुसार आवंटन नियम 6 के अन्तर्गत नियम 5 में अनाधिकृत सरकारी भूमियों, सिंचित एवं असिंचित दोनों की प्रपत्र 1 में तैयार सूची का अपवर्जन तथा आरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई भी युक्ति-युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप-2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

इसके साथ ही आवंटिती को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उक्त आवंटन आराजी संख्या 221 रकबा 084 हैक्टेयर भूमि में से 0.22 हैक्टेयर किया गया है, ऐसी स्थिति 0.84 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 01 व 02 को आवंटित भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त है, जबकि हस्तगत प्रकरण में भूमिधाकर तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा स्वयं इस तथ्य को अंकित



किया गया है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा-काशत नहीं है एवं ना ही अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। कब्जे का तथ्य केवल मौखिक कथनों से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। कब्जा बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं हो सकता है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत में RRD 1998 पेज संख्या 445 में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत (Unoccupied land available for allotment) के लिये उपलब्ध है एवं पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थी द्वारा नियम 20 के तहत सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) में प्रावधित किया गया है कि जिला कलक्टर को स्वयं संज्ञान से भी किसी आवंटन की जांच/सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में दीगर व्यक्ति द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जे के लेकर आवेदन प्रस्तुत किये गये है जबकि हस्तगत प्रकरण में भूमिधारक तहसीलदार द्वारा कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिससे अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण सहायक नहीं है।

विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना हस्तगत प्रकरण में प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 516/2021 दिनांक 25.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2023(1) पेज संख्या 436, से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि केवल कब्जे के आधार पर आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना नहीं किया जाना उपर्युक्त विश्लेषण से प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2021(1) पेज संख्या 1029, में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि छल से आवंटन प्राप्त किये जाने का आरोप नहीं है, तथा आवंटन कमेटी द्वारा विधि अनुसार आवंटन किया गया है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना नहीं किया जाकर भू-आवंटन कमेटी द्वारा



प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित किया जाना प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थी के तर्कों के बल प्रदान नहीं करता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 516/2021 दिनांक 25.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 516/2021 दिनांक 25.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.10.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

